भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 102

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

सोमवार, 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

जन शिक्षण संस्थान योजना

102. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक कुल कितने लाभार्थी कवर किए गए हैं;

(ख) विगत दो वित्त वर्षों के दौरान इस योजना का परिव्यय और वर्ष-वार उपयोग कितना रहा है;

(ग) महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और क्या इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की सभी जिलों को कवर करने के लिए नए जेएसएस केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है, जिसमें आकांक्षी जिलों पर विशेष जोर दिया जाएगा और प्रत्येक जेएसएस केंद्र को प्राप्त औसत धनराशि कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जेएसएस केंद्रों में पाठ्यक्रम मानकीकृत है;

(च) जेएसएस योजना का सरकार की अन्य पहलों के साथ किस प्रकार परस्पर संयोजन है; और

(छ) विशेष रूप से महाराष्ट्र में जेएसएस योजना तथा जेएसएस केंद्रों की संख्या, लाभार्थी आदि संबंधी स्थिति क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, जिसे शुरू में वर्ष 1967 में श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के तौर पर शुरू किया गया था, का उद्देश्य भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ पंजीकृत सोसाइटी (एनजीओ) के ज़रिए लाभार्थियों के घर पर अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्व-रोजगार/मजदूर रोजगार को बढ़ावा देकर परिवार की आय में वृद्धि करना है। इस स्कीम के लक्षित लाभार्थी निरक्षर, नव-साक्षर तथा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र/छात्राएँ, जो कक्षा 12वीं तक किसी भी स्तर पर पढ़ाई छोड़ चुके हैं। दिव्यांगजन तथा अन्य पात्र मामलों, विशेषकर महिलाओं को आयु में छूट दी जाती है। प्राथमिकता समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वाले शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ, अनुसूचित जातियाँ (एससी), अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक शामिल हैं।

वर्ष 2018 से 31 अक्टूबर 2025 तक, जेएसएस स्कीम के तहत देश भर में कुल **32,53,965** लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया हैं।

(ख) पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान स्कीम का परिव्यय और प्रति वर्ष इसके उपयोग को **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2018 से 31 अक्टूबर 2025 तक, जेएसएस स्कीम के तहत प्रशिक्षित एससी, एसटी और ओबीसी लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

पात्र मामलों में, विशेष रूप से महिलाओं को आयु में छूट दी जाती है। प्राथमिकता समूहों में ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न-आय वर्ग के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ, अनुसूचित जातियाँ (एससी), अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक शामिल हैं। योजना के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप, प्रशिक्षित लाभार्थियों में अधिकांश महिलाएँ (लगभग 83%) हैं।

(घ) वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना के तहत, प्रत्येक जेएसएस को स्थापना के समय 20 लाख रुपये की एकमुश्त गैर-आवर्ती अनुदान राशि दी जाती है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष 4 समान किस्तों में 50 लाख रुपये की वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इस आवर्ती सहायता अनुदान को आगे तीन शीर्षों में विभाजित किया जाता है– कार्यक्रम व्यय शीर्ष (24 लाख रुपए), परिलब्धियाँ शीर्ष (20 लाख रुपये) और कार्यालय व्यय शीर्ष (06 लाख रुपये)।

(ङ) पाठ्यक्रम का चयन स्थानीय बाज़ार की मांग और घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से आंकी गई लाभार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। समानता और कौशल मानकों को बनाए रखने के लिए सभी पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ़ मानकों के अनुरूप बनाया गया है।

(च) मंत्रालय केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं और पहलों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय कर रहा है। इसका उद्देश्य आजीविका के अवसरों को बढ़ाना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा कौशलीकरण विकास पहलों को आत्मनिर्भर भारत अभियान, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप करना है। सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जेएसएस योजना के विभिन्न अभिसरणों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(छ) वित्त वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र राज्य में कुल 21 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) केंद्र संचालित हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में जेएसएस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में संचालित जेएसएस केंद्रों का ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 31 अक्टूबर 2025 तक **महाराष्ट्र में जेएसएस योजना के तहत कुल 2,63,937 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।** प्रशिक्षित लाभार्थियों में ग्रामीण एवं शहरी मलिन बस्तियों के शैक्षिक रूप से वंचित तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग शामिल हैं। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप, प्रशिक्षित लाभार्थियों में से अधिकांश **महिलाएँ (82.59%) हैं**। इसका ब्यौरा **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

अनुबंध -I

दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका: जेएसएस योजना के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित लाभार्थी (2018 से 31 अक्टूबर 2025 तक)

वित्तीय वर्ष	**प्रशिक्षित**
2018-19	1,67,283
2019-20	4,15,332
2020-21	3,59,796
2021-22	4,61,996
2022-23	7,26,284
2023-24	5,07,337
2024-25	5,00,490
2025-26	1,15,447
कुल	**32,53,965**

अनुबंध -II

दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका: पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान योजना का परिव्यय और वर्षवार उपयोग

वित्तीय वर्ष	**आवंटित बजट (करोड़ में)**	**वास्तविक उपयोग (करोड़ में)**
2023-24	163.33	157.25
2024-25	235.1	144.47

दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (ग) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका: जेएसएस योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या

वित्तीय वर्ष	महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
2018-19	148235	44289	20585	57063
2019-20	354135	111816	54732	143965
2020-21	297899	101432	46416	123313
2021-22	385242	122294	61265	163429
2022-23	574811	179996	103760	260773
2023-24	403035	121946	73916	185565
2024-25	429558	103124	58695	228435
2025-26	105208	23128	11647	55384
कुल योग	**26,98,123**	**8,08,025**	**4,31,016**	**12,17,927**

दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (च) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जेएसएस योजना के तहत अभिसरण पहलों का विवरण इस प्रकार है:

1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) (जनजातीय कार्य मंत्रालय)
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 17 मंत्रालयों/विभागों द्वारा समन्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल का समाधान करके आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के व्यापक विकास की कल्पना करता है। **2024-25 से 2028-29** की अवधि के लिए जनजातीय समुदायों से **1 लाख लाभार्थियों** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डीएजेजीयूए के तहत, देश के 15 राज्यों के 30 जनजातीय जिलों में 30 जनजातीय कौशलीकरण केंद्र (टीएससी) स्थापित किए गए हैं।

2. समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम की समझ के साथ अभिसरण (उल्लास) योजना (शिक्षा मंत्रालय):

उल्लास योजना के तहत, जेएसएस साक्षरता कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

- जेएसएस राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों (एसएलएमए) और जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरणों (डीएलएमए) के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहे हैं।
- **15-45 वर्ष** आयु वर्ग के उल्लास लाभार्थियों को परामर्श दिया जा रहा है और जेएसएस में पंजीकृत किया जा रहा है।
- आज तक, **26 जेएसएस** ने इस अभिसरण के तहत **400 लाभार्थियों** को प्रशिक्षित किया है।

3. पीएम विश्वकर्मा:

जेएसएस को कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में पहचाना जाता है। अब तक, **118 जेएसएस** ने **23 राज्यों में 18 ट्रेडों में 26,201 कारीगरों** के लिए प्रशिक्षण और आकलन किया है।

4. पीएम जनमन:

जनजातीय कार्य मंत्रालय की पीएम जनमन योजना के तहत, जेएसएस निस्बड के सहयोग से परामर्श एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।

- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए कौशलीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- अब तक, **1,774 लाभार्थियों** ने उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, और **1,738 लाभार्थियों** ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

5. स्किल हब पहल (पीएमकेवीवाई 3.0):

राज्य शिक्षा विभागों/एजेंसियों के समर्थन से एनएसडीसी के माध्यम से कार्यान्वित, यह पहल जेएसएस को कौशल हब केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

- **288 जेएसएस** को **34,560 लाभार्थियों** (प्रति जेएसएस 120 की दर से) का कुल प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किया गया था।
- **217 जेएसएस** द्वारा **12,971 लाभार्थियों** का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

6. नव्या पहल:

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में जून 2025 में शुरू किया गया, नव्या आकांक्षी जिलों में किशोर लड़कियों (16-18 वर्ष) को कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस पहल के लिए **15 जेएसएस** को शॉर्टलिस्ट किया गया है। **2 जेएसएस** में प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (छ) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका: चालू वित्त वर्ष 2025-26 में महाराष्ट्र में प्रचालनरत जेएसएस की सूची

क्र. सं.	**राज्य**	**जेएसएस का नाम**
1	**महाराष्ट्र**	जेएसएस अहमदनगर
2		जेएसएस अकोला
3		जेएसएस औरंगाबाद (एमएस)
4		जेएसएस बीड
5		जेएसएस बुलढाणा
6		जेएसएस चंद्रपुर -I (वीजीवीएसएम)
7		जेएसएस चंद्रपुर -II (वीबीएस)
8		जेएसएस धारावी मुंबई
9		जेएसएस धुले
10		जेएसएस गढ़चिरौली
11		जेएसएस गोंदिया
12		जेएसएस जलगांव
13		जेएसएस लातूर
14		जेएसएस नंदुरबार II
15		जेएसएस नंदुरबार -I
16		जेएसएस नासिक
17		जेएसएस पुणे
18		जेएसएस रायगढ़
19		जेएसएस रत्नागिरी
20		जेएसएस सिंधुदुर्ग
21		जेएसएस वर्ली मुंबई

अनुबंध -VI

दिनांक 01.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (छ) उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका: महाराष्ट्र राज्य में प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या (लिंगवार)

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित कुल लाभार्थी	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर
2018-19	16,051	2,060	13,975	16
2019-20	38,023	4,927	33,068	28
2020-21	35,102	7,437	27,658	7
2021-22	38,479	7,284	31,125	70
2022-23	52,934	10,641	42,284	9
2023-24	37,273	7,584	29,677	12
2024-25	36,861	4,822	32,038	1
2025-26	9,214	1,051	8,163	0
कुल योग	**2,63,937**	**45,806**	**2,17,988**	**143**

*****